

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238929
CG-DL-E-20092022-238929

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]
No. 628]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 709(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 170क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इकतीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 नवंबर, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘12क. धारा 170क के अधीन आय की विवरणी—(1) किसी निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 170क में यथा निर्दिष्ट, किसी कारबार पुनर्गठन की उत्तराधिकार इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की संशोधित विवरणी, प्ररूप आईटीआर-क में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष, जिसको कारबार पुनर्गठन का आदेश लागू होता है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 170क के उपबंधों के अनुसरण में संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं या लंबित है, तो निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश और इस प्रकार प्रस्तुत संशोधित विवरणी के अनुसरण में, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा, या निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए प्रवृत्त होगा।

(4) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), डाटा को सुरक्षित रूप से लेने और पारेषण के लिए प्रक्रियाएं, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखी और पुनःप्राप्ति नीतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

3. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में,--

(I) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए, प्ररूप आईटीआर-6 के भाग क-सामान्य में, क्रम संख्यांक (क19)(क)(i) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क19) (क)	(i) जिस धारा के अधीन फाइल की गई है, उसे (टिक) करे [कृपया अनुदेश देखें]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पहले, ☐ 139(4)- नियत तारीख के पश्चात्, ☐ 139(5)- पुनर्निश्चित विवरणी, ☐ 92गघ- संशोधित विवरणी, ☐ 119(2) (ख) - विलंब की माफी के पश्चात्, ☐ 170क- अधिकरण या न्यायालय के आदेश के पश्चात्।”;
------------	--	---

(II) आईटीआर-पावती के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-क (धारा 170क के अधीन आय-कर विवरणी) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

	आईटीआर-क	भारतीय आय-कर विवरणी [कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप धारा 170क के अधीन उत्तराधिकार इकाइयों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी] (पावता के लिए अनुदेश देखें) (आय-कर नियम, 1962 का नियम 12कघ देखें)
--	----------	--

भाग क सामान्य सूचना - 170क

(अ1): आय की विवरणी फाइल करने वाली उत्तराधिकार इकाई का ब्यौरा दें :

(अ1क) विवरणी फाइल करने वाली उत्तराधि- कार इकाई का पैर		(अ1ख) उत्तराधिकार इकाई का नाम	(अ1ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निगमित पहचान संख्यांक (सीआईएन)	(अ1घ) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	(अ1ङ) कारबार आरंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(अ2): ठहराव/कारबार पुनर्गठन की स्कीम में अन्य उत्तराधिकार इकाइयों का ब्यौरा दें :

(अ2क) अन्य उत्तराधि- कार इकाई का (इकाइयों के) पैर		(अ2ख) उत्तराधिकार इकाई का (इकाइयों के) नाम	(अ2ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निगमित पहचान संख्यांक (सीआईएन)	(अ2घ) निगमन की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)	(अ2ङ) कारबार आरंभ की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)

(अ3): पूर्वाधिकार इकाई का ब्यौरा दें :															
(अ3क) पूर्वाधिकार इकाइयों का (के) पैर										(अ3ख) पूर्वाधिकार इकाइयों का (के) नाम	(अ3ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निगमित पहचान संख्यांक (सीआईएन)	(अ3घ) निगमन की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)	(अ3ङ) कारबार आरंभ की तारीख (तारीखें) (दिन/मास/वर्ष)		
(अ4) निर्धारण वर्ष /कृपया अनुदेश देखें/										(अ5) क्या इस निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी पहले फाइल की गई है? ☐ हां ☐ नहीं		(अ6) यदि हां, क्या धारा 139(1) ☐ अन्य (ड्राप डाउन) के अधीन फाइल की गई है			
(अ7) मूल विवरणी का फाइल किया गया प्ररूप, पावती सं. या रसीद सं. और फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें										आईटीआर-6	पावती सं. और फाइल करने की तारीख				/ /
(अ8) कारबार पुनर्गठन के आदेश का ब्यौरा :															
(अ8क) कारबार पुनर्गठन का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी										☐ उच्च न्यायालय ☐ धारा 170क में निर्दिष्ट प्राधिकरण ☐ शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी					
(अ8ख) आदेश की तारीख															
(अ8ग) आदेश सं0															
(अ8घ) तारीख, जिससे आदेश के अनुसार कारबार पुनर्गठन प्रभावी किया गया है।															
(अ9) कृपया धारा 170क के अधीन, सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय को उपांतरित करने वाली, आईटीआर-6 अपलोड करें।															
(अ10) उपांतरित विवरणी की पावती सं0 और फाइल करने की तारीख (प्रस्तुतीकरण के समय स्वतः भरी जाएगी)										/ /					

सत्यापन

मैं सुपुत्र/सुपुत्री घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं (ड्राप-डाउन उपलब्ध कराए जाएं) की अपनी हैसियत से यह विवरणी दे रहा हूँ और मैं यह विवरणी देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या का/की धारक हूँ। (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कारबार पुनर्गठन के आदेश में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर :।

[अधिसूचना सं.110/2022,/फा.सं. 370142/41/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 697(अ) तारीख 14 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

(A2a) PAN (s) of other successor entities		(A2b) Name(s) of successor entities	(A2c) Corporate Identity Number (s) (CIN) issued by MCA	(A2d) Date (s) of incorporation (DD/MM/YYYY)	(A2e) Date (s) of commencement of business (DD/MM/YYYY)
(A3): Give details of the predecessor entities:					
(A3a) PAN(s) of the predecessor entities		(A3b) Name (s) of predecessor entities	(A3c) Corporate Identity Number (s) (CIN) issued by MCA	(A3d) Date (s) of incorporation (DD/MM/YYYY)	(A3e) Date (s) / Year of commencement of business (DD/MM/YYYY)
(A4) Assessment Year [Please see instruction]	(A5) whether return previously filed for this assessment year? ☐ Yes ☐ No		(A6) If yes, Whether filed u/s ☐ 139(1) ☐ Others (drop down)		
(A7) Enter form filed, Acknowledgement no. or Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	ITR-6	Ack no and date of filing			/ /
(A8) Details of order of business reorganisation:					
(A8a) Authority passing the order of business reorganisation			☐ High Court ☐ Tribunal as referred to in section 170A ☐ Adjudicating Authority as defined in clause (1) of section 5 of IBC, 2016		
(A8b) Date of order					
(A8c) Order No.					
(A8d) Date from which the business reorganisation has been made effective as per the order					
(A9) Please upload ITR-6 u/s 170A, modifying the income for the relevant AY.					
(A10) Acknowledgement no. and Date of filing of the modified return (will be auto-filled at the time of submission)			/ /		

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number (Please see instruction).

I further declare that the terms and conditions specified in the order of business reorganisation passed by the Competent Authority have been complied with.

Date:**Signature:.**

[Notification No. 110/2022/F.No. 370142/41/2022-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification G.S.R. 697.(E), dated 14th September, 2022.